

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

क्रमांक /रीडर/2023/66

दिनांक :- 15.02.23

आदेश

प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र ईश्वरराम जाति बलाई निवासी रूलाणा की आरे से जरिये वकील श्री सुखाराम के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट के अनुसरण में ग्राम रूलाणा प0ह0 बनाथला तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 173 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रूलाणा प0ह0 बनाथला	173	जगदीश पुत्र ईशरराम जाति चमार व बिरदीदेवी पत्नि ईशरराम जाति चमार	जगदीश पुत्र ईशरराम जाति बलाई व बिरदीदेवी पत्नि ईशरराम जाति बलाई



(प्रतिभा वर्मा IAS)


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दिनांक:- 15.02.23

क्रमांक /रीडर/2023/66

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रायली।



उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ